

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री सुनील पंवार (आर.ए.एस.)

प्र0स0 - 34/2020

उनवान

1. नाथु पिता रामनाथ दत्तक पुत्र जगन्नाथ गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
 2. सुरतराम पिता रामनाथ गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
- (प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामकरण पिता हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.प
2. मेवा पिता हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
3. गजेन्द्र सिंह पिता बाघसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
4. नरेन्द्र सिंह पिता शेरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
5. भगवान सिंह पिता हजारी दरोगा उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
6. भैरू पिता बेनाथ जाट उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
7. सुरजकरण पिता सोनाथ जाट उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
8. गोपाल पिता श्रीलाल नाई उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
9. सकराम पिता बेनाथ जाट उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
10. केदार पिता जगन्नाथ भाम्बी उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
11. हरनाथ पिता रामचन्द्र दरोगा उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
12. रामेश्वर पिता नारायण दरोगा उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
13. भागचन्द पिता गोपाल दरोगा उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्रीमती मदीना बानू

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 16.12.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 13.06.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गणपतिया खेडा पटवार मण्डल सणगारी भू0अ0नि0 फुलियाकंला तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 84 के आ0न0 697, 706, 80, 81 किता 4 रकबा 2.62 हैक्टर व खाता संख्या 85 के आराजी संख्या 699 रकबा 0.54 हैक्ट. भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 17.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 16.12.2020 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गणपतिया खेडा पटवार मण्डल सणगारी भू0अ0नि0 फुलियाकंला तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 84 के आ0न0 697, 706, 80, 81 किता 4 रकबा 2.62 हैक्टर व खाता संख्या 85 के आराजी संख्या 699 रकबा 0.54 हैक्ट. भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फुलियाकंला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील पंवार)

उपखण्ड अधिकारी

फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा

तारीख
जो इस
तामील
में हुए